

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
अनु सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

1 निदेशक,
उच्च शिक्षा उ०प्र०
प्रयागराज।

2 कुलसचिव,
समस्त राज्य/निजी विश्वविद्यालय
उ०प्र०।

उच्च शिक्षा अनुभाग-3

लखनऊ : दिनांक 23 मार्च, 2023

विषय : प्रदेश में लू-प्रकोप (Heat wave) से बचाव एवं राहत के लिए तैयारी कार्ययोजना बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र० के पत्र संख्या-1/286757/2023, दिनांक 13-03-2023 की छायाप्रति प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की सूचना उच्च शिक्षा अनुभाग-3 को एक पक्ष में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भूदीय,

(अरविन्द सिंह)

अनु सचिव।

सेवा में

1. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/प्रभारी/
सम्बन्धित

2. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या
सम्बद्ध महावि

कृ० निर्देशानुसार आ०का० हेतु।

24/03/2023

कुल सचिव

प्रतिलिपि-

1- सहायक कुल सचिव सम्बद्ध।
2- प्रभारी, वि०के० Website हेतु

24/03/2023
कुल सचिव

I/286757/2023

US(GKT)/US(A)/50-3

प्रेषक,
सुधीर गर्ग,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

SL-32
16.03.2023
प्रमुख सचिव

सेवा में

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, गृह, कृषि, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास, परिवहन, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, पशुपालन, सूचना एवं जन सम्पर्क, बेसिक शिक्षा, एवं माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक/निदेशक/आयुक्त,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, सूचना एवं जन सम्पर्क, ग्राम्य विकास, स्थानीय निकाय, पशुपालन, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा एवं मौसम विज्ञान विभाग, उ0प्र0।
3. मण्डल रेलवे प्रबन्धक, (उत्तरी रेलवे, उत्तर पूर्वी एवं उत्तर मध्य रेलवे)।

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक : 13/03/2023

विषय: प्रदेश में लू-प्रकोप (Heat wave) से बचाव एवं राहत के लिए तैयारी कार्ययोजना बनाये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश में हीट-वेव से बचाव के लिए पूर्व में निर्गत एडवाइजरी का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। पूर्व में निर्गत एडवाइजरी को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष-2023 के लिए कार्ययोजना बनाया जाना प्रस्तावित है।

2. देश में प्रतिवर्ष हीट-वेव (लू-प्रकोप) से होने वाली क्षतियों को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा हीट-वेव से बचाव हेतु पूर्व में निर्गत एडवाइजरी में राज्य को विभिन्न स्तरों (राज्य/जनपद/ब्लाक स्तर) पर नोडल अधिकारी नामित करने, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद एवं ब्लाक स्तर पर हीट-वेव को मॉनीटर किए जाने, हीट-वेव के समय क्या करें व क्या न करें की प्रचार सामग्री के व्यापक प्रचार प्रसार किए जाने, मोबाइल मैसेज/वाट्सएप के माध्यम से चेतावनी प्रेषित किए जाने, स्वास्थ्य केन्द्र एवं आंगनबाड़ी केन्द्र पर ओ0आर0एस0 पैकेट की समुचित व्यवस्था किए जाने, तीव्र गर्मी से बचाव हेतु विद्यालय के समय में परिवर्तन किए जाने, पेय जल की समुचित व्यवस्था एवं श्रमिकों/कामगारों के कार्य घंटों में परिवर्तन किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

जनपद स्तर पर हीट-वेव से बचाव हेतु नामित नोडल अधिकारी द्वारा हीट-वेव की स्थिति में क्या विशेष सचिव व क्या न करें के संबंध में जागरूकता फैलाने, सनस्ट्रोक से मृत्यु से बचाव हेतु दिशा-निर्देश निर्गत उच्च शिक्षा विभाग को हीट-वेव के संबंध में नियमित रूप से प्रेस कान्फ्रेंस आयोजित किए जाने, मंदिरों/लोक उ0प्र0 शासनों/मॉल को Cooling Centre के रूप में चिन्हित किए जाने, लोक स्थानों पर एन0जी0ओ0/सामुदायिक समूहों/वैयक्तिक रूप से पानी एवं छाछ की व्यवस्था किए जाने, पर्याप्त विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए गए हैं।

4. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा हीट-वेव से बचाव हेतु संबंधित विभागों हेतु निर्गत एडवाइजरी विभागवार निम्नवत है:-

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग:-

- क्षेत्रीय भाषा में आई0ई0सी सामग्री-पोस्टर एवं पैम्फलेट तैयार किया जाना।
- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (टी0वी0/एफ0एम0 रेडियो) प्रिन्ट मीडिया (समाचार पत्र) सोशल मीडिया (फेसबुक/ट्विटर/ वाट्सएप के माध्यम से हीट-वेव की स्थिति में क्या करें व क्या न करें के संबंध में जागरूकता फैलाना।

139/US(A)/23
49/53

16-3-23
(गिरिजेश कुमार त्यागी)

गो 3000
17-3-2023

502
17/03/23

I/286757/2023

स्वास्थ्य विभाग:-

- दिशा-निर्देश/प्रशिक्षण दिया जाना एवं ग्राम स्तर के पदाधिकारियों हेतु चेतावनी निर्गत किया जाना।
- क्षेत्रीय अस्पतालों में गर्मी से संबंधित परीक्षण किया जाना।
- प्रभावित जनता के देखभाल हेतु अतिरिक्त स्टॉफ को प्रशिक्षित किया जाना, तथा अस्पतालों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में ओ0आर0एस0 के पर्याप्त स्टॉक की व्यवस्था।
- मृत्यु के कारकों की जांच करने में मानक प्रोटोकाल का पालन किया जाना।
- हीट-वेव से मृत्यु की दशा में मृतकों के पंजीकरण की समान प्रक्रिया का पालन।

नगर निगम

- शहर/कस्बों/स्लम बस्ती, जिनका हीट-वेव से ज्यादा प्रभावित होना संभाव्य है, को चिन्हित किया जाना तथा पेयजल की व्यवस्था किया जाना।
- खुले पार्कों में छाया की समुचित व्यवस्था किया जाना।
- सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव।
- शहरी क्षेत्रों में नयी इमारतों के निर्माण हेतु समुचित योजना तैयार किया जाना।
- **Environment and Building Code** का पालन करते हुये ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य कराया जाना।

श्रम विभाग

- औद्योगिक एवं अन्य श्रमिकों के लिए गर्मी संबंधित बीमारियों हेतु जागरूकता कैम्प का आयोजन।
- वाह्य कार्यों हेतु कार्य घण्टों में परिवर्तन किए जाने हेतु नियोक्ता को निर्देशित किया जाना।
- स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये श्रमिकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना।
- पीने के पानी की समुचित व्यवस्था तथा निर्माण कामगारों के सम्बन्ध में अन्य अनिवार्य मानकों का पालन।

पशुपालन विभाग

- पशुओं की सुरक्षा हेतु हीट-वेव एक्शन प्लान तैयार कर उसका प्रभावी क्रियान्वयन।
- पशुपालक कृषकों को हीट-वेव की स्थिति में पशुओं की सुरक्षा हेतु जागरूक करने हेतु ग्राम स्तर पर क्षेत्रीय स्टॉफ एवं गौपालकों को निर्देशित किया जाना।
- पशुओं हेतु आश्रय स्थलों/समुचित वेटनरी मेडिसिन एवं पीने हेतु पेय जल की समुचित व्यवस्था किया जाना।

आई0 टी0 विभाग

- राज्य एवं जनपदों में हीट-वेव की स्थिति की मॉनीटरिंग हेतु डैसबोर्ड/इंटरफेज की व्यवस्था।
- उक्त डैसबोर्ड/पोर्टल से बल्क एस0एम0एस0 भेजे जाने की सुविधा।
- हीट-वेव से सम्बन्धित चेतावनी एवं आश्रय स्थलों/पेय जल की सूचना के प्रसारण हेतु मोबाइल ऐप विकसित किया जाना।

शिक्षा विभाग

- समस्त शैक्षिक संस्थानों में छाया एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था।
- गर्मी को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की समयवधि में परिवर्तन।
- गर्मी को दृष्टिगत रखते हुये यह सुनिश्चित किया जाये कि विद्यार्थियों द्वारा आउटडोर शारीरिक क्रियाकलापों को न किया जाये।

पंचायतीराज/ग्राम्य विकास विकास

- मनरेगा कामगारों की कार्य अवधि में परिवर्तन।
- कार्यस्थल पर छाया एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था।

I/286757/2023

ऊर्जा विभाग

- विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना।
- गर्मी (Peak Hour) को देखते हुये विद्युत कटौती के समय में परिवर्तन।

परिवहन विभाग

- बड़े बस स्टैण्डों/टर्मिनलों पर प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था।
- बस स्टैण्डों/टर्मिनलों पर छाया एवं पेयजल की व्यवस्था।
- डिजीजनल रेलवे मैनेजर
- मैकेनिकल/इलेक्ट्रिक सिस्टम (पंखा/ए0सी0) का प्राथमिकता के आधार पर समुचित रखरखाव किया जाना।
- ट्रेनों एवं रेलवे स्टेशनों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था।

वन विभाग

- लोक स्थानों पर हरियाली सुनिश्चित करना।
- वन अग्नि से बचाव हेतु निरन्तर पर्यवेक्षण।
- जंगली जानवरों एवं पक्षियों के लिए पेयजल की समुचित व्यवस्था।

पर्यटन विभाग

- प्रदेश में हीट-वेव की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए पर्यटकों हेतु एडवाइजरी निर्गत किया जाना।
- राज्य भ्रमण पर आये हुये पर्यटकों का समुचित पंजीकरण।
- मंदिरों एवं अन्य धार्मिक स्थलों पर आए दर्शनार्थियों हेतु अस्थायी आश्रय स्थल एवं पेयजल की समुचित व्यवस्था।

5. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा प्रदेश में हीट वेव से बचाव हेतु निर्गत उक्त एडवाइजरी के क्रम में विभागीय कार्ययोजना तैयार किया जाना अपेक्षित है।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि हीट वेव से बचाव हेतु विभागीय कार्ययोजना तैयार कर उसका अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कार्ययोजना की प्रति राजस्व विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

Signed by सुधीर गर्ग

Date: 13-03-2023 16:36:21

(सुधीर गर्ग)
प्रमुख सचिव
Reason Approved

संख्या-जी0आई0- / एक-11-2023 तददिनांक

प्रतिलिपि सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार नई दिल्ली को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(हरि प्रसाद सिंह)

अनु सचिव।